राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(30)ग्राविवि/अनु–5/जीकेएन/गाइड़ लाइन/2013–14 जयपुर, दि. 26 अप्रेल,2013

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद,
भीलवाड़ा।

विषयः– आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पर प्रोरेटा देय होने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–जिला परिष्द भीलवाड़ा द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति कमांक/आं.बा./नाबार्ड/2012–13 दिनांक 15.02.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रसाशनिक स्वीकृति आदेश में क.सं. 3 पर उल्लेखित आंगन बाड़ी भवन निर्माण कार्यों पर किसी प्रकार का कोई प्रोरेटा देय नहीं होगा के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक एफ 13(567) ग्रावि/7/2007/366–74 दिनांक 22.01.2013 (प्रति संलग्न) व ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2010 में उल्लेखित प्रावधानानुसार प्रोरेटा चार्ज की देयता सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर.के.माथुर)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपिः– 1. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग को उनकी अ.शा.टीप कमांक एफ–13(567)ग्रावि/7/2007/902 जयपुर दिनांक 14.03.2013 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिष्द (ग्रा.वि.प्र.) भीलवाड़ा के अतिरिक्त (मय संलग्नक)

26/4/13

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

कृ.पृ.उ....

बैठक कार्यवाही विवरण।

श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान–सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 15.01.2013 को मध्यान्ह् पश्चात् 3.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक में निम्नांकित अधिकारी उपस्थित हुए :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
6. अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.), ग्रामीण विकास विभाग।

बैठक में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अन्य विभागों जैसे – महिला एवं बाल विकास विभाग आदि द्वारा उनके बजट से करवाये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु पंचायती राज संस्थाओं को वर्तमान में देय 5 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज के संदर्भ में विस्तार से चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 22.5.2008 में लिये गये निर्णय का कार्यवाही विवरण क्रंमाक एफ– 13 (567) ग्रावि/ 7/ 2007/ 2421–2424 दिनांक 12.06.2008 जारी हुआ है, जिसमें आंगनबाडी केन्द्रों सहित अन्य विभागों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से निर्माण कार्य करवाने पर उन्हें 5 प्रतिशत प्रोरेटा चार्जेज देय है। अतः उक्त निर्णय की पालना की जावे।

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,ग्रावि एवं पंरा

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग--7)

एफ– 13 (567) ग्रावि/ 7/ 2007/366–74 दिनांक 22/1/13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,जयपुर।
2. शासन उप सचिव एवं निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान–जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग।
9. अधीक्षण अभियंता (ग्रा.वि.), ग्रामीण विकास विभाग।

वित्तीय सलाहकार